



2026:AHC-LKO:5274

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 29/2026

राम छबीले तिवारी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ
एवं 7 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – शिवम कुमार मिश्रा, जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, लक्ष्मण सिंह, मनीष

बरनवाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, होम नारायण अवस्थी

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम कुमार मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. खरे को सुना।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने गोंडा जिले के कर्नल गंज तहसील के पांडेचौरा (मंगराइचपुरवा) गांव में स्थित सार्वजनिक पथ, जिसका गाटा संख्या 452 एवं क्षेत्रफल 0.368 हेक्टेयर है, पर किये गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
2. गोंडा जिले के कर्नल गंज के उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है और आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है, किन्तु इसके एक छोटे भाग पर अतिक्रमण है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (1) के अंतर्गत दो कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं।
3. तदनुसार, इस याचिका का निस्तारण यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि गोंडा जिले के कर्नल गंज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहसील के पांडेचौरा (मंगराइचपुरवा) गांव में स्थित भूमि गाटा संख्या 452 के कुछ भागों पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (1) के अंतर्गत संस्थित की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक निर्णीत किया जाएगा, और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

22 जनवरी, 2026

रेणु

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।